परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.5; पृष्ठ 21)

आय और व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आय					व्यय				शुद्ध अधिशेष (प्रतिशत)
	सहमति शुल्क	जल उपकर	ब्याज आय	अन्य आय[1]	कुल आय	परियोजना खर्चे	स्थापना और अन्य खर्चे	आयकर	कुल व्यय	
2012–13	43.03	20.52	19.33	0.90	83.78	10.79	17.62	1.22	29.63	54.15 (65)
2013–14	45.75	0.00	25.65	1.39	72.79	1.22	18.43	1.46	21.11	51.68 (71)
2014–15	38.05	0.00	29.81	1.26	69.12	0.80	22.25	3.38	26.43	42.69 (62)
2015–16	75.76	8.14	31.65	4.78	120.33	0.71	24.13	6.40	31.24	89.09 (74)
2016–17	उपलब्ध नहीं									
कुल	**202.59**	**28.66**	**106.44**	**8.33**	**346.02**	**13.52**	**82.43[2]**	**12.46**	**108.41**	

स्रोत: आरएसपीसीबी, जयपुर

[1] प्रयोगशाला नमूना जांच शुल्क, बीएमडब्लू, निगरानी शुल्क इत्यादि

[2] प्रयोगशाला व्यय पर ₹ 1.00 करोड़ सम्मिलित

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.6.3; पृष्ठ 24)

एनसीआर में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और कमी के लिए उपायों के रूप में किए जाने वाले कार्य

क्र.सं.	कार्य बिन्दु	क्रियान्वयन के लिए समय सीमा	सम्बन्धित प्राधिकारी
ए	**वाहन के उत्सर्जनों पर नियंत्रण**		
1	प्रदूषणकारी वाहनों के विरूद्ध व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करें;	तुरंत	परिवहन विभाग
2	स्पष्ट प्रदूषणकारी वाहनों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें;	तुरंत	परिवहन विभाग
3	अधिभार को रोकने के लिए देहली की सीमाओं पर गति पुलों में तौलना स्थापित करें;	तुरंत	परिवहन विभाग
4	गैर निर्धारित क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग को रोकने के लिए कदम उठाए ;	तुरंत	परिवहन विभाग
5	मार्ग परिवर्तन के लिए प्रमुख मार्गों पर यात्रियों के लाभ के लिए यातायात की भीड़ से सम्बन्धित प्रारम्भिक अलार्म प्रणाली का सूत्रपात करें;	तुरंत	परिवहन विभाग
6	सड़क पर वाहनों के शिखर संचलन को कम करने के लिए फ्लेक्सी/चौकाने वाले समय की योजना शुरू करने पर विचार करें;	तुरंत	परिवहन विभाग
7	कण फिल्टर के साथ डीजल वाहनों के पुन:संयोजन के लिए कदम उठाए;	तुरंत	परिवहन विभाग
8	डी-कान्जेस्ट मार्ग	तुरंत	परिवहन विभाग
9	यातायात संचलन को सिंक्रनाइज करे। लेन ड्राईविंग के लिए बुद्धिमतापूर्ण यातायात प्रणाली का सूत्रपात करें;	30 दिन	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन
10	ईंधन भरने वाले स्टेशनों में वेपोर रिकवरी प्रणाली स्थापित करें;	30 दिन	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन
11	रिमोट सेंसर आधारित पीयूसी प्रणाली इत्यादि की स्थापना के लिए कदम उठाए;	90 दिन	परिवहन विभाग
12	डिस्पेंसिग मशीनों की बढ़ती संख्या सहित ईंधन स्टेशनों के विसंकुलन को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार करना;	90 दिन	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन
13	ईंधन गुणवत्ता वाले आंकड़ों की यादृच्छिक निगरानी और ईंधन में मिलावट की जांच के लिए कार्य योजना तैयार करना;	90 दिन	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन
14	सीएनजी साधन पर सार्वजनिक परिवहन के लिए कार्य योजना तैयार करना;	90 दिन	परिवहन विभाग

15	सड़क के विसंकुलन के लिए बुनियादी ढ़ांचे में सुधार और सड़क चौड़ी करना आरंभ करना;	90 दिन	परिवहन विभाग
16	बैटरी संचालित वाहनों को बढ़ावा देना;	90 दिन	परिवहन विभाग
17	पश्चिमी और पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के वक्त से पहले शीघ्र पूर्ण करने में तेजी लाने के लिए कदम उठाएं और पूर्णता अनुसूची प्रस्तुत करें।	60 दिन	परिवहन विभाग
बी	**सड़क धूल नियंत्रण/धूल के पुनः निलंबन और अन्य फ्यूजिटिव उत्सर्जन**		
18	यातायात गलियारों के साथ हरी बफर सृजन के लिए कार्य योजना तैयार करना;	तुरंत	परिवहन विभाग
19	सड़कों को मेकेनाइज्ड वेक्यूम/गीली सफाई का सूत्रपात करना;	30 दिन	परिवहन विभाग
20	उत्सर्जन और धूल को कम करने के लिए पोट होल्स मुक्त सड़कों के संधारण से यातायात का मुक्त प्रवाह बनाए रखे;	60 दिन	परिवहन विभाग
21	जहां भी संभव हो प्रमुख यातायात चौराहों पर जल फव्वारों का सूत्रपात करना;	90 दिन	परिवहन विभाग
22	खुले क्षेत्रों, उद्यानों, सामुदायिक स्थानों, विद्यालयों और आवास समितियों को हरियाली का कार्य करना;	90 दिन	परिवहन विभाग
23	सड़क धूल टालने के लिए सड़क सोल्डर्स के पेवमेंट/ब्लेकटोपिंग के लिए कदम उठाएं;	180 दिन	एलएसजी/यूडीएच
सी	**बायोमास जलाने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण**		
24	खुल में बायोमास/पत्ते/टायर इत्यादि जलाने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें और आवधिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें;	तुरंत	कृषि विभाग
25	बागवानी कचरा (बायोमास) का उचित संग्रह और खाद-सह-बागवानी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना;	तुरंत	कृषि विभाग
26	कृषि कचरे और फसल के अवशेष को जलाने पर रोक की सख्त पालना सुनिश्चित करना;	तुरंत	कृषि विभाग
27	होटलों और रेस्टोरेन्टस में कोयले के उपयोग पर रोक लगाना और दिल्ली में खाना पकाने के लिए केरोसीन का उपयोग हटाना;	60 दिन	एलएसजी/यूडीएच
डी	**औद्योगिक वायु प्रदूषण पर नियंत्रण**		
28	अनाधिकृत ईंट भट्टों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें;	30 दिन	आरएसपीसीबी
29	मानकों के साथ अनुपालन नहीं करने वाली औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें;	60 दिन	आरएसपीसीबी
30	प्राकृतिक ड्राफ्ट ईंट भट्टों के प्रेरित ड्राफ्ट में रूपांतरण की सख्त अनुपालना लागू करना;	90 दिन	आरएसपीसीबी

31	जहां भी संभव हो, उद्योगों द्वारा प्राकृतिक गैस पर स्विचिंग ओवर करने की कार्ययोजना प्रारंभ करना;	120 दिन	आरएसपीसीबी
ई	**निर्माण और विध्वंस क्रियाओं से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण**		
32	उचित आवरण के माध्यम से निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण नियंत्रण;	तुरंत	एलएसजी/यूडीएच
33	बाधाओं और धूल दमन इकाईयों, पर्दे, पानी छिड़काव के माध्यम से सामग्री संचालन, कनवेयिंग और स्क्रीनिंग संचालन से फ्यूजिटिव उत्सर्जन के लिए नियंत्रण उपायों को करना;	30 दिन	एलएसजी/यूडीएच
34	बंद/ढ़के हुए पतीलों में निर्माण सामग्री की ढुलाई सुनिश्चित करना;	30 दिन	एलएसजी/यूडीएच
एफ	**वायु प्रदूषण नियंत्रण के अन्य कदम**		
35	रिपोर्ट की गई गैर-अनुपालन के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्यों/संघीय क्षेत्र में हेल्पलाइन स्थापित करना;	तुरंत	एलएसजी/यूडीएच
36	केंद्रीय और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से जुड़े मोबाईल आधारित एप्लीकेशन और अन्य सामाजिक मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से कचरा। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाने की सूचना की एक प्रणाली विकसित करना;	30 दिन	एलएसजी/यूडीएच
37	शिकायतों के त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया स्थापित करना;	30 दिन	एलएसजी/यूडीएच
38	घरेलू खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए एलपीजी/पीएनजी के कवरेज को अधिकतम करने के लिए 100 प्रतिशत को प्राप्त करने की इच्छा के साथ कदम उठाना;	90 दिन	एलएसजी/यूडीएच
39	केवल मानदंडों को पूरा करने वाले डीजी सेट के परिचालन की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाए;	30 दिन	एलएसजी/यूडीएच
40	रेस्टोरेंट/ढ़ाबों/सड़क के किनारे भोजनालयों पर कोयले की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना;	90 दिन	एलएसजी/यूडीएच
41	कृषि अवशेष जलाने के प्रवर्तन और ट्रेकिंग की सेटेलाइट आधारित निगरानी लागू करना;	90 दिन	एलएसजी/यूडीएच
42	बायोमास जलाने से बचने के लिए बायोमास आधारित बिजली उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए कदम उठाना;	एक साल	एलएसजी/यूडीएच

स्रोत: आरएसपीसीबी, जयपुर

परिशिष्ट 2.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3, पृष्ठ 30)

वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	शहर का नाम	स्थापना वर्ष	एएक्यूएमएस/सीएएक्यूएमएस का स्थान	टिप्पणियां
			(अनुमोदित स्थान का नाम)	
1	भिवाड़ी	2015	**आरओ, आरएसपीसीबी भवन**	–
2	भिवाड़ी	2015	**यूआईटी गेस्ट हाउस**	ईएसआई अस्पताल
3	भिवाड़ी	2016	**मैसर्स उत्तम स्ट्रीप्स**	–
4	अलवर	1994	**आरओ आरएसपीसीबी भवन**	–
5	अलवर	1994	**मैसर्स जैन इरिगेशन लिमिटेड**	गौरव सोलवेक्स
6	अलवर	1991	**मैसर्स विन्टेज डिस्टीलर्स लिमिटेड**	आरआईआईसीओ पम्प हाउस
7	जोधपुर	1994	**शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन**	–
8	जोधपुर	2003	**चौपासनी हाउसिंग बोर्ड**	–
9	जोधपुर	1994	**महामंदिर पुलिस स्टेशन**	–
10	जोधपुर	1994	**सोजति गेट पुलिस स्टेशन**	–
11	जोधपुर	2003	**डी आई सी कार्यालय**	–
12	जोधपुर	2003	**आरओआरएसपीसीबी भवन**	आरआईआईसीओ कार्यालय बानसी II
13	कोटा	1985	**कृषि विज्ञान केन्द्र बोरखेड़ा**	समकौर ग्लास लिमिटेड
14	कोटा	2000	**नगर निगम रामपुरा**	–
15	कोटा	2016	**फायर स्टेशन**	–
16	कोटा	2016	**मैसर्स गिरीराज आईटीआई**	सीवरेज ट्रीटमेन्ट पलान्ट बालिता
17	कोटा	2016	**राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय**	–
18	कोटा	1998	**आरओआरएसपीसीबी भवन**	–
19	उदयपुर	1994	**आरओआरएसपीसीबी भवन**	–
20	उदयपुर	1994	**टाउन हाल**	–
21	उदयपुर	1994	**अम्बा माता**	–
22	जयपुर	1996	**आरएसपीसीबी प्रधान कार्यालय भवन झलाना डूंगरी**	–
23	जयपुर	1996	**आरओआरएसपीसीबी भवन, सीकर रोड़**	–
24	जयपुर	1996	**आरएसईबी भवन, चांदपोल**	–

25	जयपुर	1996	**पीकेआई, मनोरंजन क्लब**	–
26	जयपुर	1996	**रिको कार्यालय एमआईए**	–
27	जयपुर	1996	**पीएचईडी भवन अजमेरी गेट**	–
28	जयपुर	2017	रिको कार्यालय बाईस गोदाम औद्योगिक क्षेत्र	–
29	जयपुर	2017	रिको कार्यालय, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र	–
30	भरतपुर	2015	आरओ भवन भरतपुर	–
31	भरतपुर	2016	रिको कार्यालय	–
32	भरतपुर	2016	खादी ग्रामोद्योग	–

सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस)

1	जयपुर	2012	**पुलिस आयुक्त, एमआई रोड़**	–
2	जोधपुर	2012	**जिला कलेक्ट्रेट, जोधपुर**	–
3	जयपुर	2017	मनोरोग केन्द्र, सेठी कालोनी	–
4	जयपुर	2017	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, शास्त्री नगर	–
5	अजमेर	2017	सैनिक विश्राम गृह, सिविल लाइन	–
6	पाली	2017	बांगड़ राजकीय पीजी महाविद्यालय, पाली	–
7	भिवाड़ी	2017	**जल आपूर्ति योजना फैज-4 आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र**	–
8	कोटा	2017	**श्रीनाथ पुरम स्टेडियम**	–
9	अलवर	2017	**राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय, डीजीएम स्कूल के सामने, अलवर**	–
10	उदयपुर	2017	**डीएमजी कार्यालय, कोर्ट सर्किल**	–

स्रोत: आरएसपीसीबी, जयपुर, संयुक्त रुप से दौरा किए गए इकाईयों को बोल्ड में हाइलाईट किया गया है।

परिशिष्ट 2.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3, पृष्ठ 30)

अनुपयुक्त स्थानों पर स्थापित वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरणों का विवरण

क्र. सं.	शहर का नाम	निरीक्षण जगहों के नाम और स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1	अलवर	सीएएक्यूएमएस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	इमारत के पीछे की ओर के कोने पर स्थित है और इमारतों से घिरा हुआ है।
2	अलवर	एएक्यूएमएस, मैसर्स विन्टेज डिस्टीलर्स लिमिटेड, 117 एमआईए, अलवर	छोटे आकार की इमारत की छत के कोने पर स्थित और इमारतों और पेड़ों से घिरा हुआ है।
3	अलवर	एएक्यूएमएस, मैसर्स जैन इरिगेशन लिमिटेड	छोटी आकार की इमारत की छत के कोने पर स्थित और पेड़ों से घिरा हुआ है।
4	भिवाड़ी	सीएएक्यूएमएस, वाटर सप्लाई कोम्लैक्स, आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र	दीवार के पास, इमारतों, पेड़ों और पानी के ऊंचे टैंक से घिरा हुआ है।
5	जोधपुर	एएक्यूएमएस, रीजनल कार्यालय, जोधपुर	इमारत की छत के कोने पर स्थित और पेड़ों से घिरा हुआ है।
6	जोधपुर	एएक्यूएमएस, महामंदिर, पुलिस स्टेशन	पेड़ों से घिरा हुआ है।
7	जोधपुर	एएक्यूएमएस, सोजतिगेट, पुलिस स्टेशन	पेड़ों से घिरा हुआ है।
8	जोधपुर	एएक्यूएमएस, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड	सैम्पलर दीवारों और पेड़ों के पास स्थापित किया गया था।
9	कोटा	एएक्यूएमएस, फायर स्टेशन	सैम्पलर दीवारों और पेड़ों के पास स्थापित किया गया था।
10	कोटा	एएक्यूएमएस, केवीके, बोरखेड़ा	स्टेशन खेती की जमीन से घिरा हुआ था और पास में कोई प्रदूषण संकेद्रण व चढ़ाव या उतार के स्रोत इत्यादि नहीं थे
11	उदयपुर	एएक्यूएमएस, टाउन हाल	दीवार के पास इमारतों और पेड़ों से घिरा हुआ है
12	उदयपुर	एएक्यूएमएस, आरओ बिल्डिंग	छत के भूतल पर रखा गया और चार दीवारी के पास

स्रोत: क्षेत्रीय कार्यालय, आरएसपीसीबी और परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन।

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.3, पृष्ठ 31)

अनुमोदित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर स्थापित सैम्पलरों का विवरण

क्र. सं.	शहर का नाम	निगरानी स्टेशन का प्रकार	निगरानी स्टेशनों के अनुमोदित स्थान	स्थान जहां सैम्पलर स्थापित किया गया था
1	अलवर	एएक्यूएमएस,	मैसर्स गौरव सोलवेक्स लिमिटेड	मैसर्स जैन इरिगेशन लिमिटेड
2	अलवर	एएक्यूएमएस,	रिको पम्प हाउस	प्रहरी कक्ष की छत औद्योगिक क्षेत्र मैसर्स वीन्टेज डिस्टिलरीज के साथ जुड़ा हुआ।
3	भिवाड़ी	सीएएक्यूएमएस,	यूआईटी गेस्ट हाउस	वाटर सम्लाई कोम्पलैक्स, आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र
4	भिवाड़ी	एएक्यूएमएस,	ईएसआई अस्पताल	यूआईटी गेस्ट हाउस
5	जयपुर	सीएएक्यूएमएस,	आरओ बिल्डिग, सीकर रोड	पुलिस आयुक्तालय
6	कोटा	एएक्यूएमएस,	समकोर ग्लास लिमिटेड	कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरखेड़ा
7	कोटा	एएक्यूएमएस,	मलजल उपचार संयंत्र, बालिता	गीरीराज आईटीआई

स्रोत: क्षेत्रीय कार्यालय, आरएसपीसीबी और परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन।

परिशिष्ट–3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.5.1; पृष्ठ 74)

अरावली पर्वत पहाड़ियों में खनन के संदर्भ में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का विवरण (रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995)

दिनांक	विवरण
29 अक्टूबर 2002	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण अरावली पहाड़ियों में समस्त खनन गतिविधियों को निषिद्ध एवं प्रतिबंधित किया था। यह प्रतिबंध केवल कोट एवं आलमपुर ग्रामों को घेरने वाली पहाड़ियों तक सीमित नहीं था बल्कि धौलपुर से राजस्थान तक की संपूर्ण अरावली की पहाड़ियों तक बढ़ाया गया था। मुख्य सचिव, हरियाणा राज्य एवं राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया कि अरावली पहाड़ियों, विशेष रूप से उन भागों में जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत वन क्षेत्र या रक्षित क्षेत्र माने गये थे, में खनन गतिविधियां नहीं की जावे।
16 दिसंबर 2002	हरियाणा से राजस्थान तक अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों को निषिद्ध एवं प्रतिबंधित करने के भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29/30 अक्टूबर 2002 के आदेश को, जहां तक राजस्थान राज्य से सम्बन्धित था, निम्न प्रभावानुसार संशोधित किया गया था: कथित राज्य में जहां कहीं भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त की जा चुकी है तथा लागू अधिनियमों या अधिसूचनाओं या न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत खनन को निषिद्ध नहीं किया गया है, खनन जारी रह सकेगा तथा ऐसे खनन के लिए पूर्व कथित आदेश लागू नहीं होगा।
8 अप्रैल 2005	आगामी निर्देशों तक लंबित रखते हुए, हम वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन को प्रतिबंधित करते है। आगे, हम राजस्थान राज्य में अवस्थित अरावली पहाड़ियों में किसी भी क्षेत्र में जहां 16 दिसंबर 2002 के पश्चात अनुमति प्रदान की गई थी, खनन को प्रतिबंधित किया गया था।
19 फरवरी 2010	राजस्थान राज्य की अरावली श्रृंखला में तकरीबन 261 खनन पट्टे थे। कुछ खनन पट्टे 16 दिसंबर 2002 के पश्चात नवीनीकृत किये गए थे, यद्यपि उस दिनांक को पारित आदेश के अनुसार यह कठोर रूप से अनुमत्य नहीं था। प्राधिकारियों के पास एक बड़ी संख्या में नवीनीकरण आवेदन भी लंबित है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) नियम, 1960 के नियम 24ए खनन पट्टे का नवीनीकरण के समझे जाने के प्रावधान का लाभ लेते हुए लगभग सभी पट्टेधारक बिना व्यवधान के खनन संक्रियाये जारी रख रहे है। नवीनीकरण आवेदन बहुत लंबे समय से एवं कुछ प्रकरणों में अनेक वर्षो से लंबित है। नियम 24ए स्पष्ट रूप से इस तरह की स्थिति परिकल्पित नहीं करता है। हम तदनुसार, उन सभी पट्टेधारकों जिनके सम्बन्धित पट्टों के नवीनीकरण के आवेदन लंबित है, को आगामी आदेशों तक किसी प्रकार की खनन संक्रियाएं करने से प्रतिबन्धित करते हैं।

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.6; पृष्ठ 79)

पट्टेधारियों द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों की पालना के सम्बन्ध में विभिन्न विनियमों के अधीन प्राविधित प्रावधान

1. ऊपरी मृदा

खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988	खनन योजना	पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें	संचालन की सहमति की शर्तें
नियम 32- प्रधान खनिज खनन पट्टे का प्रत्येक धारक, जहां कहीं भी ऊपरी मृदा विद्यमान है तथा खनन संक्रियाओं के लिये उत्खनित की जानी है, इसको पृथक रूप से हटायेगा और भूमि की बहाली या पुनर्वास के लिये उपयोग करेगा। अप्रधान खनिज पट्टों के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 37 यू(1) में समान प्रावधान विद्यमान है।	ऊपरी मृदा का भण्डारण बगैर खनिज की उपलब्धता वाले क्षेत्र पर किया जावेगा। ऊपरी मृदा को ढ़ेरों के ऊपर वृक्षारोपण के उद्देश्य के लिये फैलाया जायेगा।	ऊपरी मृदा, यदि कोई, को केवल चिन्हित स्थलों पर भण्डारण किया जावेगा और इसे लंबी अवधि के लिये अनुपयोगी नहीं रखा जावेगा। ऊपरी मृदा का उपयोग पुनः स्थापन एवं वृक्षारोपण के लिये किया जावेगा।	परियोजना प्रस्तावक ऊपरी मृदा का भण्डारण पृथक से करेगा और इसका उपयोग वृक्षारोपण एवं मलबे के ढ़ेरों के पुनः स्थापन के लिये करेगा।

2. अधिभार ढ़ेर

खनन योजना	पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें	संचालन की सहमति की शर्तें
उत्खनित खनिज के प्रकार के आधार पर प्रत्येक पट्टाधारी खनन योजना में अधिभार के विशिष्ट प्रशोधन/पुर्नप्राप्ति का प्रस्ताव करता है। अधिभार का धरण दीवार के द्वारा स्थिरीकरण। (प्रत्येक पट्टाधारी अधिभार स्थिति के अनुसार स्थिरीकरण का प्रस्ताव करता है।)	अधिभार सामग्री का ढ़ेर लगाने के लिए एक अलग स्थान चिन्हत होना चाहिए और इसे लम्बी अवधि के लिए सक्रिय नही रखा जावे। क्षरण और सतही बहाव को रोकने के लिए अधिभार ढ़ेरों को वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त देशी प्रजातियों के साथ वनस्पति युक्त किया जाना चाहिए। वनस्पति के आत्मनिर्भर होने तक पुनर्वासित क्षेत्रों का प्रबोधन एवं प्रबंधन, जारी रखा जाना चाहिए।	उत्पन्न अधिभार केवल चिन्हित ढ़ेर स्थल पर जमा किया जावेगा और ढ़ेर लगाने के पश्चात् इसे उपयुक्त वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जाना चाहिए। वनस्पति के आत्मनिर्भर होने तक पुर्नवासित क्षेत्रों का प्रबोधन एवं प्रबंधन जारी रखा जाना चाहिए। अधिभार ढ़ेरों के पैंदे पर एक धरण दीवार होनी चाहिये।

3. वृक्षारोपण

<table>
<tr><th colspan="2">राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29 सितंबर 2003</th><th>खनन योजना</th><th>पर्यावरणीय सहमति की शर्तें</th><th>संचालन की सहमति की शर्तें</th></tr>
<tr><td colspan="2">प्रत्येक पट्टाधारक/खदान अनुज्ञप्तिधारक के लिए वृक्षारोपण के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे:</td><td rowspan="6">खनन योजना में प्रजातियों का नाम जिनको रोपा जाना है, पौधों की संख्या, वर्षवार वृक्षारोपण के लिए स्थान/जगह सम्मिलित है। बाद में पट्टेदार को वृक्षारोपण की देखभाल के दौरान पानी देना, खाद, कीटनाशक उपचार और पौधों के मरने पर पुनः स्थापना को सुनिश्चित करना है, ताकि जीवित रहने की दर 80 प्रतिशत से कम न हो।</td><td rowspan="6">खनन पट्टे के क्षेत्र में चारों तरफ चरणबद्ध तरीके से वृक्षारोपण को विकसित किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण पट्टा क्षेत्र के आधार पर भिन्न होता है।</td><td rowspan="6">पट्टेदार, खान के चारों ओर परिवेश में वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुल पट्टाक्षेत्र का कम से कम 33 प्रतिशत में वृक्षारोपण का विकास करेगा और वृक्षारोपण के लिए कार्ययोजना का पालन करना होगा।</td></tr>
<tr><th>श्रेणी</th><th>मानदंड</th></tr>
<tr><td>प्रधान खनिज पट्टेदार</td><td>5 पौधे/हैक्टर या अंश/वर्ष</td></tr>
<tr><td>मार्बल, सरपेंटाईन एवं ग्रेनाईट पट्टों और खदान अनुज्ञप्तिधारी</td><td>20 पौधे/हैक्टर या अंश/वर्ष</td></tr>
<tr><td>अन्य अप्रधान खनिज पट्टों और खदान अनुज्ञप्तियां</td><td>40 पौधे/हैक्टर या अंश/वर्ष</td></tr>
<tr><td>मार्बल और ग्रेनाईट के अलावा खनिजों का खदान अनुज्ञप्तियां जिनका क्षेत्रफल एक हैक्टर से कम हो।</td><td>5 पौधे/खदान अनुज्ञप्ति/वर्ष</td></tr>
</table>

4. गारलैन्ड नाली का निर्माण

पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें	संचालन सहमति की शर्तें
गारलैन्ड नाली का निर्माण वर्षा के दौरान निचले क्षेत्रों में पानी के बहाव से गाद एवं तलछट को रोकने के लिए खनन गड्ढे एवं अधिभार ढ़ेर के चारों ओर किया जाना चाहिये।	पानी एवं तलछट के बहाव को रोकने के लिये खनिज एवं अधिभार ढ़ेर के चारों ओर गारलैन्ड नाली का निर्माण किया जाना चाहिए।

5. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय

खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988	खनन योजना	पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त	संचालन की सहमति की शर्तें
नियम 37 में वर्णित है कि खनन उपकृति एवं संबंधित गतिविधियों के दौरान परिष्कृत[3], धूल, धुआं या गैसों के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण को नियंत्रित	वायु प्रदूषण के सम्भावित कारणों का विवरण एवं उनके निवारण उपायों का विवरण पर चर्चा।	हाल रोड, चढ़ाने एवं उत्पादन वाले बिन्दुओं पर वायु जनित धूल के कणों को रोकने हेतु पानी से छिड़काव किया जावेगा। वायु की गुणवत्ता के	पानी के छिडकाव एवं स्थापित की गई छिडकाव प्रणाली में सहित धूल को दबाने के लिये उपयोग हेतु संधारित रखना था। संचालन की सहमति की

[3] परिष्कृत से आशय खनिजों या अयस्क की संक्रिया से है (i) चाही गई उत्पाद के आकार को विनियमित करना (ii) अनुपयोगी घटकों को अलग हटाना, और (iii) चाहे गए उत्पाद की विशेषता, उसकी शुद्धता और परख या विश्लेषण श्रेणी को प्रोन्नत करना।

किया जावेगा और देश के विभिन्न पर्यावरण सम्बन्धी विधियों जिनमें वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 शामिल है, के अधीन विनिर्दिष्ट प्रधान खनिज के पट्टाधारी द्वारा 'अनुक्षेप सीमा' के भीतर रखा जावेगा। अप्रधान खनिज पट्टों के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37 यू(4) में समान प्रावधान विद्यमान है।		प्रबोधन हेतु सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मेटर्स (एसपीएम), रेस्पिरेवल पर्टिकुलेट मेटर्स (आरपीएम), सल्फर डाईऑक्साइड (एसओटू), नाईट्रोजन डाईऑक्साइड (एनओटू) और कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) के स्तर की जांच की जावेगी और इसके परिणामों को छः माह में एक बार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत की जावेगी।	शर्त के अनुसार पट्टेधारी को एसपीएम के लिये खनन क्षेत्र में परिवेशी वायु की गुणवत्ता के लिये छः माह में एक बार प्रबोधन करना आवश्यक है और परिणामों का राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत करने है। पट्टेधारी को परिवेशी वायु की गुणवत्ता के प्रबोधन के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधायें मय उपकरण उपलब्ध करायेंगे।

6. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय

खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988	**खनन योजना**	**पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें**	**संचालन की सहमति की शर्तें**
नियम 39 प्राविधित करता है कि प्रधान खनिज के पट्टेधारी द्वारा खानों, कार्यशाला इत्यादि से उत्पन्न ध्वनि के स्रोत पर नियंत्रित किया जावेगा जिससे कि उसे अनुज्ञेय सीमा तक रखा जा सके। अप्रधान खनिज पट्टों के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 37यू (6) में समान प्रावधान विद्यमान है। आगे, ध्वनि परीक्षण के पीरियोडिकल परिणामों को संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के साथ-साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।	खनन स्थान पर लगाई गई मशीन का उचित संधारण प्रस्तावित है। जिससे ध्वनि को कम किया जा सके।	ध्वनि के स्तर को निर्धारित मानकों के अन्दर नियंत्रित करने हेतु उपाय किये जाने चाहिये।	ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा से किन्हीं परिस्थितियों में अधिक नहीं होना चाहिये (दिन के समय 75 डीबीए और रात्रि के समय 65 डीबीए) ध्वनि स्तर के परिणामों का प्रबोधन छः माह में एक बार किया जाना चाहिये और इसके परिणामों को नियमित रूप से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत किये जावेंगे।

7. उत्खनित गड्ढों का पुन:स्थापन एवं सुधार

खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 1988	पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें	संचालन की सहमति की शर्तें
नियम 34 कहता है कि प्रधान खनिज खनन पट्टे के हर धारक खनन संक्रियाओं द्वारा प्रमाणित भूमियों को पूर्व अवस्था के अनुकूल बहाल करने, उद्धार करने और पुनर्वास करने का कार्य करेगा तथा यह कार्य ऐसी संक्रिया के निष्कर्ष के पूर्व और खनन के परित्याग के पूर्व किया जावेगा। अप्रधान खनिज पट्टे के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज नियम, 1986 के नियम 37 यू(3) में समान प्रावधान विद्यमान है।	अंतिम खान समापन योजना, कोष निधि के ब्यौरे के साथ अंतिम खान बंद करने के पांच वर्ष पूर्व मंजूरी के लिये एम.ओ.ई.एफ. को प्रस्तुत किया जाना चाहिये।	खनन इकाई खनन कार्यो से प्रभावित स्थापित प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार चरणबद्ध पुर्नस्थापना और पुर्नवास का कार्य करेगा तथा खनन कृत्यों के निष्कर्ष से पहले एवं स्वामित्व या संभावनाओं का त्याग करने से पहले यह कार्य पूरा करेगा।

8. बेन्चों में खनन

मेटलीफेरस खान का विनियमन, 1961	खनन योजना	पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें
विनियमन 106(2)(अ) प्राविधित करती है कि जहां ढ़लान वाली सतह पर जमा का उत्खनन मानव साधनों से किया जाता है, सतह को बैंच निर्मित किया जावेगा तथा भागों को क्षैतिज से 60 डिग्री से अधिक कोण पर ढ़लवा बनाया जावेगा। किसी भी बैंच की ऊंचाई छ: मीटर से अधिक नही होगी तथा चौड़ाई ऊंचाई से कम नही होगी। तथापि, जहां अयस्क स्रोत तुलनात्मक रूप से कठोर एवं ठोस चट्टान से बनाये क्षेत्रीय निरीक्षण एक लिखित आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तो के अधीन जैसी की वह उसमें विनिर्दिष्ट करें बैंच की ऊंचाई 7.5 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दे सकेगा।	खान का वर्षवार विकास जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिये विकसित की जाने वाली बैंच गड्ढावार ऊंचाई, चौड़ाई एवं लंबाई प्रदान की जाती है।	बैंचों की ऊंचाई, चौडाई तथा ढ़ाल मेटलीफेरस खान विनियमन, 1961 अथवा महानिदेशक, खान सुरक्षा के अनुमोदन के अनुसार रखा जावेगा।

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.6.3; पृष्ठ 85)

संयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच-परिणामों का राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 38 निरीक्षण प्रतिवेदनों के साथ क्रॉस-सत्यपान

क्र.सं.	पर्यावरणीय मुद्दों के घटक	संयुक्त भौतिक निरीक्षण और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रतिवेदनों के मध्य तुलना	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	ऊपरी मृदा: राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रोफार्मा के अनुसार, ऊपरी मृदा की उपलब्धता पर टिप्पणी की जानी थी और इसके उपलब्ध होने की दशा में उसके भंडारण, स्थान और मात्रा को विनिर्दिष्ट करना था।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, 15 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा उपलब्ध नहीं थी, 14 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था अथवा 6 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा की कम मात्रा की उपलब्धता का उल्लेख किया गया था और तीन प्रकरणों में ऊपरी मृदा उपलब्ध थी, जबकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में यह पाया गया कि 16 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा मौजूद नहीं थी एवं 22 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा मौजूद थी।	इससे प्रकट हुआ कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने केवल तीन प्रकरणों में ऊपरी मृदा की उपलब्धता प्रतिवेदित की थी जबकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों के अनुसार यह 22 खनन पट्टों में उपलब्ध थी। इस प्रकार, 19 खनन पट्टों में ऊपरी मृदा से संबंधित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन अपूर्ण, गलत एवं अविश्वसनीय थी।
2	अधिभार ढ़ेर: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप में, निरीक्षणकर्ता अधिकारी को अधिभार ढ़ेरों की संख्या मय माप एवं इन ढ़ेरों की स्थिति, अधिभार ढ़ेरों के चारों ओर धरण दीवार का निर्माण, ढ़ेर के चारों वृक्षारोपणों की संख्या तथा वृक्षारोपण का प्रकार प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, सात खनन पट्टों में अधिभार नहीं था, 29 खनन पट्टों में अधिभार ढ़ेर नहीं पाया गया या नगण्य ढ़ेर पाया गया और दो पट्टों में अधिभार ढ़ेरों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी जबकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में यह पाया गया कि 36 खनन पट्टों में अधिभार ढ़ेर पाये गये एवं 2 खनन पट्टों में अधिभार ढ़ेर नहीं अथवा नगण्य पाये गये।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की किसी भी प्रतिवेदन में ढ़ेरों की संख्या के साथ माप एवं स्थिति के बारे में सभी विवरण उल्लेखित नहीं थे। सात[4] पट्टों में ढ़ेरों की संख्या तथा माप उल्लेखित थी परन्तु उनकी स्थिति विनिर्दिष्ट नहीं थी सिवाय एक पट्टे (07/01 ऋषभदेव) के। दो पट्टों में अधिभार ढ़ेरों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। शेष रहे 29 खनन पट्टों में यह कथन किया गया कि पट्टा क्षेत्र में अधिभार ढ़ेर नहीं पाया गया या नगण्य ढ़ेर पाया गया और इसलिए पुर्नप्राप्ति की आवश्यकता नहीं थी। राजस्थान राज्य प्रदू८ाण नियंत्रण मंडल ने उनकी निरीक्षण प्रतिवेदनों में नौ खनन पट्टों की

[4] सात पट्टे (11/05 एवं 54/93-राजसमंद-I, 02/92, 15/03-राजसमंद-II, 06/89-उदयपुर, 7/01 एवं 08/92-ऋषभदेव)

			धरण दीवार निर्मित होना बताया गया था परन्तु यह देखा गया कि एक खनन पट्टे में धरण दीवार निर्मित होना पायी गयी थी एवं दो खनन पट्टों में धरण दीवार निर्माण प्रगति पर होना प्रतिवेदित किया गया था।
3	वृक्षारोपण: निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के प्रारूप में पौधों की संख्या, वृक्षारोपण के प्रकार और उसके स्थान पर टिप्पणी करना आवश्यक था।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, 25 खनन पट्टों में 12 से 1,500 पौधे लगाया जाना प्रतिवेदित था, दो खनन पट्टों में 1,000 और 40,000 पौधारोपण प्रतिवेदित किए गए थे, तीन खनन पट्टों में पट्टाक्षेत्र के अन्दर और बाहर 300-3,400 पौधारोपण प्रतिवेदित किए गए थे और खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर किये गये वृक्षारोपण के सम्बन्ध कोई विवरण नहीं दिया गया था एवं एक खनन पट्टे में वृक्षारोपण पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, जबकि भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में पाया गया कि 27 खनन पट्टों में कोई वृक्षारोपण नहीं पाया गया, 3 पट्टा क्षेत्र में पट्टाक्षेत्र के अन्दर और बाहर प्रतिवेदित किए गए 300-3,400 पौधारोपण के विरूद्ध 20 से 100 पौधे पाये गये और एक पट्टे में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वृक्षारोपण पर कोई टिप्पणी नहीं की गई जबकि 1,750 पौधे पाये गये।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की वृक्षारोपण से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन यथार्थ से परे थी। 25 खनन पट्टों के प्रकरणों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदनों में 12 से 1,500 पौधे लगाया जाना प्रतिवेदित था। हालांकि, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान कोई वृक्षारोपण नहीं पाया गया। आगे, 25 खनन पट्टों में से दो खनन पट्टों (खनन पट्टा संख्या 415/02 और 414/02) में यह पाया गया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने क्रमश: वर्ष 2011 और 2012 में निरीक्षण किया था। प्रतिवेदन के अनुसार खनन पट्टा संख्या 415/02 में 35 पौधों और खनन पट्टा संख्या 414/02 में लगभग 30 पौधारोपण लगाया जाना प्रतिवेदित किया था। मार्च 2015 में किये गये दूसरे निरीक्षण में, प्रत्येक खनन पट्टे के क्षेत्र में 50 पौधारोपण किया जाना प्रतिवेदित किया था। हालांकि, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पट्टा क्षेत्र के अन्दर कोई वृक्षारोपण करना नहीं पाया गया। निरीक्षण अधिकारियों ने जहां पौधारोपण किया था उस विनिर्दिष्ट स्थान के बारे में टिप्पणी नहीं की थी। दो पट्टों (खनन पट्टा संख्या 1/93 और 54/93) में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार क्रमश: लगभग 1,000 और 40,000

			पौधारोपण पट्टाक्षेत्र के अन्दर प्रतिवेदित किए गए थे। हालांकि, संयुक्त भौतिक निरीक्षण करने पर एक भी पौधा मौजूद नहीं था। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उनकी तीन पट्टों की निरीक्षण प्रतिवेदन में खनन पट्टे क्षेत्र के अन्दर और बाहर 2,000 (खनन पट्टा संख्या 07/01), 3,400 (खनन पट्टा संख्या 02/92) और 300 (खनन पट्टा संख्या 48/11) पौधारोपण करना प्रतिवेदित किया था। यह देखा गया था कि पट्टा क्षेत्र के बाहर किये गये वृक्षारोपण के स्थान के सम्बन्ध कोई विवरण उनकी प्रतिवेदन में नहीं दिया गया था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह पाया गया कि खनन पट्टा के क्षेत्र के अंदर खनन पट्टा संख्या 07/01 में 20 पौधे, खनन पट्टा संख्या 2/92 में 100 पौधे और खनन पट्टा संख्या 48/11 में 100 पौधे पाये गये। एक पट्टे (15/03) में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वृक्षारोपण के विरूद्ध कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन संयुक्त भौतिक निरीक्षण में 1,750 पौधारोपण उपस्थित था।
4	गारलैन्ड नाली का निर्माण	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, 20 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गयी, 15 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली प्रदत्त, दो पट्टों में गारलैन्ड नाली अप्रदत्त और एक पट्टे में गारलैन्ड नाली लागू नहीं जबकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में पाया गया कि दो पट्टों में गारलैन्ड नाली प्रदत्त, 30 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली अप्रदत्त एवं छः पट्टों में गारलैन्ड नाली लागू नहीं थी।	इससे प्रकट हुआ कि राज्य राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 20 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली की स्थिति पर टिप्पणी नहीं की गई थी। आगे, संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह पाया गया कि 30 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली नहीं थी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार 15 खनन पट्टों में गारलैन्ड नाली निर्मित थी इसके विरूद्ध केवल दो पट्टों में गारलैन्ड नाली बनी हुई पाई गई।

5	**वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय:** पट्टेधारक को परिवेशी वायु की गुणवत्ता के सम्बन्ध में छः माही प्रतिवेदन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत करना वांछित था। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रपत्र के एक स्तंभ में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के भाग के रूप में निरीक्षण अधिकारी को, पानी के छिड़काव की व्यवस्था और इसके कार्यप्रणाली, पानी के छिडकाव की आविधिकता और स्थान का विवरण जहां छिडकाव किया जाना था, प्रतिवेदित करना था।	वायु की गुणवत्ता से संबंधित संयुक्त भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदनों के जांच-परिणामों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निरीक्षण प्रतिवेदनों के साथ प्रति-सत्यापन किया जाना संभव नहीं था चूंकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान वायु गुणवत्ता की जांच खनन स्थल पर उपकरणों के अभाव में नहीं की जा सकी थी।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रपत्र में पानी के छिड़काव की व्यवस्था से संबंधित स्तम्भ निरीक्षण अधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं भरे गये थे और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों ने परेवेशी वायु गुणवत्ता से संबंधित छः माही प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की थी।
6	**ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय**	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 38 खनन पट्टों की निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि इनमें ध्वनि के स्तर के बारे में कोई उल्लेख नहीं था।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल खनन पटटा क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण स्तर का प्रबोधन नहीं कर सका चूंकि ध्वनि के स्तर के प्रबोधन के लिये निरीक्षण प्रपत्र में स्तम्भ प्रदान नहीं किया था।
7	**उत्खनित गड्ढों का पुनःस्थापन एवं सुधार**	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, जांचे गये 38 खनन पट्टों में से केवल तीन निरीक्षणों में पट्टेदार को खनन संक्रियाओं से प्रभावित चरणबद्ध पुर्नस्थापन, सुधार व पुनर्वास के लिये सलाह दी गई थी। जबकि भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में पाया गया कि खनन पट्टों में चरणबद्ध पुर्नस्थापन, सुधार व पुनर्वास नहीं किये पाये गये।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल पट्टा क्षेत्र में भूमि का चरणबद्ध रीति से पुर्नस्थापन, सुधार व पुनर्वास कार्य का प्रबोधन नहीं कर सका चूकि इस पहलु को निरीक्षण प्रपत्र में शामिल नहीं किया गया था।
8	**बेन्चों में खनन** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप में बैन्चों के विकास के	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, 23 खनन पट्टों में बेन्चों के विकास के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की, 10 खनन पट्टों में बेन्चें विकसित की एक खनन पट्टे में	यह पाया गया कि 23 खनन पट्टो के लिये स्तम्भ में राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल ने 'कोई टिप्पणी' नहीं दी गई थी। 10 खनन पट्टों के लिये यह

	साथ गड्ढावार बैन्च ऊंचाई, चौडाई एवं लम्बाई पर स्तंभ शामिल है	बेन्च विकसित नहीं थी, एक पट्टे में बेन्च लागू नही थी और तीन खनन पट्टे में निल प्रतिवेदित किया हुआ पाया गया जबकि सयुंक्त भौतिक निरीक्षण जांच परिणामों में पाया गया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रतिवेदित किए गए 10 खनन पट्टों के विरूद्ध तीन पट्टों में ही बेन्चें विकसित पायी गयी, 27 खनन पट्टों में बेन्चें विकसित नहीं पायी गयी, एक खनन पट्टे में बेन्च लागू नही और सात खनन पट्टों में अनउपयुक्त बेन्चें पायी गयी।	प्रतिवेदित किया गया कि बैन्चें विकसित की गई थी। तथापि, पांच प्रकरणों में गड्ढावार बैच ऊंचाई, चौडाई एवं लम्बाई के बारे में विवरण नहीं दिया गया था। एक खनन पट्टे के लिये प्रतिवेदित किया गया कि बैन्चें लागू नहीं थी। तीन खनन पट्टों के लिये निल प्रतिवेदित किया गया और केवल एक खनन पट्टे के लिये प्रतिवेदित किया गया कि बैन्चे निर्मित नहीं की गई थी। राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल ने उपयुक्त बेंचेज के विकास को सुनिश्चित करने हेतु पट्टेधारियों को कोई चेतना पत्र जारी करना नहीं पाया गया।

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.1; पृष्ठ 91)

भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की गतिविधिवार स्थिति

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	इकाई	परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धियां
1	वनीकरण (हैक्टर में)	है.	52,750	52,750
2	कृषि वानिकी गतिविधियां (i)पौधवितरण (संख्या में)	लाख	50,00,000	46,97,000
	(ii)नई पौधशालाओं का निर्माण (संख्या में)	सं.	10	10
	(iii)विद्यमान पौधशालाओं का विकास (संख्या में)	सं.	10	10
3	मृदा एवं नमी संरक्षण संरचनाएं (संख्या में)	सं.	38,060	38,077
4	संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियां	सं.		
	(i) स्वयं सहायता समूह/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियो का सृजन (संख्या में)	सं.	250	249
	(ii)सूक्ष्म नियोजनो की तैयारी (संख्या में)	सं.	250	229
	(iii)ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों की बैठकें (संख्या में)	सं.	250	249
	(iv)गैर सरकारी संगठनों को मानदेय		17	12
	(v)जागरूकता शिविर (संख्या में)	सं.	250	250
5	सक्षमता विकास ग्राम वन सुरक्षा प्रबंध समितियों के सदस्यों/गैर सरकारी संगठनों/रेंज अधिकारियों/सहायक वन सरंक्षकों/उपवन संरक्षकों का प्रशिक्षण	एक मुश्त	256	253
6	सम्प्रेषण एवं विस्तार (i)एक्सचेंज विजिट/अध्ययन भ्रमण (संख्या में) (ii)कार्यशाला/सम्मेलन (संख्या में)	सं.	 34 7	 34 5
7	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	एक मुश्त	–	–
8	मनरेगा के माध्यम से अभिसरण पक्की दीवार बाड़ निर्माण (हैक्टर में)	है.	1,000	–

स्रोत: पीसीसीएफ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.4.2; पृष्ठ 93)

अप्रमाणित/अवमानक बीजों के वितरण की स्थिति प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र

(₹ में)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	बाजार से बीजों का क्रय जिनकी प्रयोगशाला से जांच नहीं करवाई गई	ग्राम वन सुरक्षा प्रबंध समितियों के माध्यम से संग्रहित करवाए गए बीज जिनकी प्रयोगशाला से जांच नहीं हुई	प्रयोगशाला से बिना जांच करवाये गये कुल बीज	बाजार से बीजों का क्रय जो अवमानक थे	सकल योग (3+4+6)
1	उप वन संरक्षक, कोटा	0	39,835	39,835	3,58,162	3,97,997
2	उप वन संरक्षक, (वन्य जीव) मु. रा.उ., कोटा	2,39,499	32,750	2,72,249	0	2,72,249
3	उप वन संरक्षक, राजसमंद	0	4,680	4,680	91,353	96,033
4	उप वन संरक्षक, अजमेर	1,14,767	0	1,14,767	0	1,14,767
5	उप वन संरक्षक, बूंदी	2,19,481	2,882	2,22,363	2,24,500	4,46,863
6	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	6,35,515	1,71,394	8,06,909	0	8,06,909
7	उप वन संरक्षक, भरतपुर	2,47,080	0	2,47,080	0	2,47,080
	योग	**14,56,342**	**2,51,541**	**17,07,883**	**6,74,015**	**23,81,898**

स्रोत: सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.4.2; पृष्ठ 94)

तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व पौधारोपण किए जाने वाले प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	स्थल/मॉडल एवं रेंज का नाम	तकनीकी स्वीकृति संख्या एवं दिनांक	वाउचर संख्या एवं दिनांक	भुगतान की गई राशि	कार्य निष्पादन की वास्तविक अवधि
1	उप वन संरक्षक, (वन्य जीव) मु.रा.उ., कोटा	काल्याकुई (आरडीएफ-I) रेंज-दरा	5968/30.10.2014 राशि ₹ 5.88 लाख	22/30.01.2014	3,80,246	01.04.2014 से 31.08.2014
2	-वही-	-वही-	-वही-	44/28.11.2014	1,52,132	01.09.2014 से 31.10.2014
3	उप वन संरक्षक, राजसमंद	अजीतगढ़ (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण) रेंज-भीम	47-60/27.07.2015 राशि ₹1,53,700/-	53/28.07.2015	17,278	01.04.2015 से 30.06.2015
4	-वही-	-वही-	-वही-	53/17.10.2015	16,572	01.07.2015 से 31.07.2015
5	-वही-	जेताखेड़ा (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण) रेंज-भीम	-वही-	41/17.10.2015	28,936	01.04.2015 से 30.06.2015
6	-वही-	बानसा (आरडीएफ-II) रेंज-कुंभलगढ़	01-06/22.07.2013 राशि ₹ 4.94 लाख	49/29.08.2013	12,471	23.03.2013 से 30.04.2013
7	-वही-	-वही-	-वही-	50/29.08.2013	9,607	01.05.2013 से 31.05.2013
8	-वही-	-वही-	-वही-	51/29.08.2013	31,321	01.06.2013 से 30.06.2013
9	-वही-	-वही-	-वही-	52/29.08.2013	1,39,816	03.07.2013 से 31.07.2013
10	-वही-	-वही-	-वही-	33/29.08.2013	2,000	08.07.2013
11	-वही-	भागावड़ रेंज- (आरडीएफ-II) भीम	24-29/19.08.2013 राशि ₹ 4.43 लाख	71/30.08.2013	20,438	01.04.2013 से 31.05.2013
12	-वही-	-वही-	-वही-	70/30.08.2013	2,00,353	01.06.2013 से 31.07.2013
13	-वही-	-वही-	-वही-	75/30.08.2013	6,000	01.04.2013 से 31.07.2013
14	-वही-	-वही-	-वही-	28/29.08.2013	1,501	24.06.2013
15	-वही-	-वही-	-वही-	29/29.08.2013	1,501	21.07.2013
16	-वही-	रत्नावतों की भागल (आरडीएफ-II) रेंज-नाथद्वारा	12-18/08.08.2013 राशि ₹ 4.94 लाख	13/22.08.2013	7,081	25.03.2013 से 30.04.2013
17	-वही-	-वही-	-वही-	14/22.08.2013	10,121	01.05.2013 से 31.05.2013
18	-वही-	-वही-	-वही-	15/22.08.2013	30,497	01.06.2013 से 30.06.2013
19	-वही-	-वही-	-वही-	16/22.08.2013	1,21,981	02.07.2013 से 27.07.2013
20	-वही-	-वही-	-वही-	36/29.08.2013	1,500	10.07.2013

21	–वही–	–वही–	–वही–	38/29.08.2013	1,000	01.08.2013
22	उप वन संरक्षक प्रतापगढ़	हुडा बावजी–बी रेंज–पीपलखूंट (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525–26/30.05.14	147/19.06.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
23	–वही–	सियाखेड़ी महादेव रेंज–छोटी सादड़ी(सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525–26/30.05.14	178/19.6.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
24	–वही–	रूआमगरा रेंज–छोटी सादडी (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525–26/30.05.14	186/25.6.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
25	–वही–	धार रेंज–बनासी (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525–26/30.05.14	02/25.7.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
26	–वही–	कन्नामाता रेंज–बानसी (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525–26/30.05.14	211/15.9.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
27	–वही–	खानपुरी रेंज–धरियाबाद (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525–26/30.05.14	138/25.7.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
28	–वही–	अडावेला रेंज–धरियाबाद (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525–26/30.05.14	121/25.7.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
29	–वही–	मेवा रेंज–धरियाबाद (सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण)	3525–26/30.05.14	294/16.10.14	8,600	01.04.14 से 31.05.14
योग					**12,61,153**	

स्रोत: सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.5.1; पृष्ठ 95)

सूक्ष्म नियोजन से विचलित कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	प्रस्तावित कार्य (अनिष्पादित)			निष्पादित कार्य (प्रारंभिक रूप से अप्रस्तावित)		
		कार्यों का प्रकार	संख्या	राशि	कार्यों का प्रकार	संख्या	राशि
1	उप वन संरक्षक, राजसमंद	एनीकट कंटूर गेबियन	4 3 1	82.00	डब्लूएचएस	1	3.04
2	उप वन संरक्षक, कोटा	एनीकट फार्म पोंड	1 1	13.50	कंटूर एनीकट चेकडेम पीसीटी एलबीजी डब्लूएचएस फार्म पोंड	6 2 1 4 1 2 2	73.36
3	उप वन संरक्षक, बूंदी	एनीकट डब्लूएचएस गेबियन चेकडेम पीसीटी कंटूर फार्म पोंड	2 1 2 3 1 2 1	67.00	गेबियन पीसीटी कंटूर	1 1 1	19.18
4	मु.रा.उ. कोटा	चेकडेम फार्म पोंड एनीकट पीसीटी	2 2 1 1	5.00	डब्लूएचएस एनीकट	2 2	18.38
5	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	एनीकट	1	6.50	डब्लूएचएस कंटूर	1 1	7.05
6	उप वन संरक्षक, भरतपुर	एनीकट पोंड	2 2	40.00	–	–	–
		योग	**33**	**214.00**	**योग**	**28**	**121.01**

स्रोत: सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

डब्लूएचएस-वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर

पीसीटी-परकोलेशन टैंक

एलबीजी-लूज बोल्डर गेवियन

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.5.2; पृष्ठ 95)

राज्य स्तरीय समिति की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना निर्मित मृदा एवं नमी संरक्षण संरचनाओं की खण्डवार स्थिति प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	वर्ष	मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण							
			चेकडेम संख्या	राशि	एनीकट II	राशि	एनीकट III	राशि	डब्लूएचएस संख्या	राशि
1	राजसमंद	12-13	–	–	03	1949576	02	1585407	–	–
		13-14	51	928444	06	3890210	02	1699822	13	3924909
		14-15	–	–	02	1299476	01	850000	02	604000
		योग	**51**	**928444**	**11**	**7139262**	**5**	**4135229**	**15**	**4528909**
2	मु.रा.उ. कोटा	12-13	03	55000	–	–	–	–	–	–
		13-14	–	–	05	3144404	02	1533765	05	1487933
		14-15	–	–	–	–	–	–	–	–
		योग	**03**	**55000**	**05**	**3144404**	**02**	**1533765**	**05**	**1487933**
3	कोटा	12-13	10	185000	–	–	02	1691000	–	–
		13-14	45	832000	–	–	01	850000	12	3921000
		14-15	–	–	03	1937000	02	1700000	02	603000
		योग	**55**	**1017000**	**03**	**1937000**	**05**	**4241000**	**14**	**4524000**
4	बूंदी	12-13	–	–	05	3028000	02	1700000	–	–
		13-14	121	1101000	–	–	–	–	16	3625000
		14-15	02	42000	–	–	–	–	–	–
		योग	**123**	**1143000**	**05**	**3028000**	**02**	**1700000**	**16**	**3625000**
5	अजमेर	12-13	10	184943	–	–	–	–	–	–
		13-14	17	315000	–	–	–	–	–	–
		14-15	–	–	1	649000	03	1949000	3	906000
		योग	**27**	**499943**	**1**	**649000**	**03**	**1949000**	**3**	**906000**
6	प्रतापगढ़	12-13	20	369700	05	3245503	02	1699543	05	1537123
		13-14	61	1125033	12	7787480	04	3396543	12	3619481
		14-15	–	–	07	4549374	03	2548700	04	1206233
		15-16	–	–	02	1300000	01	850000	–	–
		योग	**81**	**1494733**	**26**	**16882357**	**10**	**8494786**	**21**	**6362837**
7	भरतपुर	12-13	–	–	5	3285499	2	1684068	–	–
		13-14	76	1612574	–	–	–	–	–	–
		14-15	03	62992	–	–	–	–	2	598773
		योग	**79**	**1675566**	**5**	**3285499**	**2**	**1684068**	**2**	**598773**
		कुल योग	**419**	**6813686**	**56**	**36065522**	**29**	**23737848**	**76**	**22033452**
महायोग										**88650508**

स्रोत: सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.4.2; पृष्ठ 102)

सड़कों के उचित सर्वेक्षण के अभाव में कार्यों की स्वीकृति रद्ध करना

सौंपे गए कार्य प्रारंभ नहीं हुए (स्वीकृति रद्ध किया जाना प्रस्तावित)

क्र. सं.	जिला	पैकेज	कार्य का नाम	लंबाई (किमी में)	टिप्पणियां
1	अलवर	आरजे-02-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-II-10	अलवर-भिवाड़ी रोड़, एस एच-25 से नौगॉव	1.18	जलमग्नता के कारण स्वीकृति वापसी के लिए प्रस्तावित किया गया।
2			गादपुर से अमलाकी	1.60	
3	बांरा	आरजे-04-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-03	रिचारी जागीर रोड़ से काकरवा	1.75	दोहरी सम्पर्कता के कारण स्वीकृति वापसी
4	भरतपुर	आरजे-06-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-II-10	सुनारी रोड से नागला शीखम	0.50	मिसिंग लिंक में स्वीकृति जारी की गई। अन्य योजना में जुड़े होना। स्वीकृति वापसी हेतु प्रस्तावित
5	श्रीगंगानगर	आरजे-30-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-10	20 केएनडी से 18 केएनडी तक बीटी रोड निर्माण	3.00	अन्य योजना में जुड़े होना। स्वीकृति वापसी हेतु प्रस्तावित
6	धौलपुर	आरजे-13-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-04-II/2013-14	बसेरी सिरमथुरा रोड़ से कल्लापुरा	0.75	पहले से ही जुड़ा होना।
7	जयपुर	आरजे-16-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-04	थोलाई बिरासना रोड़ से गोपाल्यावास	1.30	राजस्व ट्रेक उपलब्ध नहीं, भूमि विवाद (700 मीटर लंबाई)
8	बूंदी	आरजे-09-डब्लू.बी. आरआरएसएमपी-07	डोरा सुथरा रोड़ से भवानीपुरा	1.50	संशोधित प्रस्ताव एवं संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु डीपीआर प्रस्तुत की गयी, निर्णय शेष है।
योग				**11.58**	

सौंपे जाने वाले कार्य (रद्ध किया जाना प्रस्तावित)

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई(किमी में)	टिप्पणियां
1	कोटा	सिमलिया से कल्याणपुरा	3.30	अन्य योजना में जुड़ा हुआ।
2	कोटा	भौरा से बलभपुरा	4.00	
3	भरतपुर	एसएच-14 चक घरवारी से मधुवाना	1.20	
योग			**8.50**	
कुल योग			**20.08**	

स्रोत: आर.आर.एस.एम.पी. की तिमाही प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार।

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.1; पृष्ठ 103)

तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व निविदाएं आमंत्रित करना

आबू रोड़ खण्ड

क्र.सं.	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	निविदा की तिथि
1	आरजे-29-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	1	08.02.2013	28.01.2013

अलवर- II खण्ड

क्र.सं.	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	निविदा की तिथि
1	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	2	23.07.2013	20.06.2013
		1	23.08.2013	

चौमहला खण्ड

क्र.सं.	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	निविदा की तिथि
1	आरजे-19-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	1	03.08.2013	02.07.2013

सवाईमाधोपुर-डब्लूबी खण्ड

क्र.सं.	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	निविदा की तिथि
1	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	1	18.02.2013	28.01.2013
2	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	3	26.08.2013 तथा 13.09.2013	02.07.2013
3	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	4	24.07.2013 तथा 16.07.2013	02.07.2013
योग		**13**		

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.2; पृष्ठ 104)

मूल्य समायोजन पर संवेदक को अधिक भुगतान

खण्ड का नाम	पैकेज संख्या	सड़क कार्यों की संख्या	अनुबंध संख्या	वाऊचर संख्या एवं दिनांक	भुगतान राशि ₹	वास्तविक राशि ₹	अधिक राशि ₹
अधिशाषी अभियंता सानिवि, खण्ड, निम्बाहेड़ा	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-35	3	32/2013-14	52/ 26.02.16	1567927	663583	904344
अधिशाषी अभियंता सानिवि, खण्ड, दौसा	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	5	12/2013-14	41/ 25.08.14	1120601	680793	439808
अधिशाषी अभियंता सानिवि, खण्ड, छबड़ा	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	3	07/2014-15	52/ 27.11.15	997643	318492	679151
	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	5	02/2014-15	01/ 13.08.15	1171123	-537780	1708903
	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-03	4	06/2014-15	02/ 13.08.15	560155	26611	533544
	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-04	4	05/2014-15	03/ 13.08.15	434064	-183673	617737
अधिशाषी अभियंता सानिवि, खण्ड, सूरतगढ़	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-03	4	07/2013-14	135/ 25.08.14	1021289	723712	297577
	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-05	4	04/2013-14	27/ 21.10.14	2696732	2269526	427206
	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-06	3	09/2013-14	24/ 21.10.14	1336794	1304785	32009
	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	05/2013-14	26/ 21.10.14	1829913	1471648	358265
	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	4	06/2013-14	25/ 21.10.14	2878642	2392448	486194
अधिशाषी अभियंता सानिवि, खण्ड, सिकंदरा	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-14	5	18/2013-14	05/ 18.12.14	887114	626710	260404
योग					**16501997**	**9756855**	**6745142**

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.2; पृष्ठ 104)

परिचालन एवं रख-रखाव नियमावली प्रस्तुत करने का अभाव

अलवर- II

क्र.सं.	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	अनुबंध राशि (₹ लाखों में)	अनुबंध राशि का @ 1 प्रतिशत राशि रोकी जाएगी जो ₹ 3.00 लाख से अधिक न हो (₹ लाखों में)
1	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	4	143.48	1.43
2	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	1	102.04	1.02
3	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	2	133.87	1.33
4	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	98.98	0.99
5	आरजे-02-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	3	162.48	1.62
			योग	**6.39**

बूंदी-डब्लूबी

1	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	3	310.67	3.00
2	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	3	291.35	2.91
3	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-05	3	442.85	3.00
4	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-06	2	409.46	3.00
5	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	3	232.15	2.32
6	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	3	438.72	3.00
7	आरजे-09-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	1	299.27	2.99
			योग	**20.22**

चौमहला

1	आरजे-19-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	2	219.07	2.19
			योग	**2.19**

चित्तौड़गढ़-डब्लूबी

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	272.88	2.72
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	273.17	2.73
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-18	5	429.07	3.00
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	2	312.97	3.00
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-24	2	351.07	3.00

6	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-25	2	425.59	3.00
7	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-26	5	321.99	3.00
8	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-27	2	317.05	3.00
9	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-28	3	267.19	2.67
10	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-29	3	252.07	2.52
11	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-30	3	301.88	3.00
12	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-31	3	290.19	2.90
13	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-32	2	139.68	1.39
			योग	**35.93**

छबड़ा

1	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	5	667.90	3.00
2	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-04	4	340.87	3.00
3	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	2	229.59	2.29
4	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	2	241.44	2.41
5	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	2	271.98	2.71
6	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	2	194.34	1.94
7	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	2	330.99	3.00
8	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	2	211.00	2.11
9	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-14	3	288.20	2.88
10	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-15	2	270.02	2.70
11	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-16	2	287.02	2.87
12	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-17	2	235.19	2.35
13	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-18	2	223.04	2.23
14	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	2	204.75	2.04
15	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-20	1	208.91	2.08
16	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-21	2	233.95	2.33
			योग	**39.94**

दौसा

1	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	2	106.06	1.06
2	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-04	3	189.22	1.89
3	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-06	2	158.57	1.58

4	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	5	450.12	3.00
5	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	339.28	3.00
6	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	353.50	3.00
7	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	3	408.44	3.00
8	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	4	485.27	3.00
9	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	4	318.27	3.00
10	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	5	493.86	3.00
			योग	**25.53**

निम्बाहेड़ा खण्ड

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-21	2	141.13	1.41
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-33	3	242.79	2.43
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-34	3	274.07	2.74
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-35	3	246.38	2.46
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-36	3	254.84	2.54
6	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-37	3	309.78	3.00
7	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-38	3	266.70	2.66
8	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-39	3	245.67	2.45
9	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-40	3	305.08	3.00
10	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-41	3	320.80	3.00
11	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-42	2	280.01	2.80
12	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-46	2	208.97	2.08
13	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-48	2	128.48	1.28
14	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-49	3	269.57	2.69
15	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-51	2	331.71	3.00
16	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-52	4	272.52	2.72
	योग			**40.26**

सवाईमाधोपुर-डब्लूबी

1	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	3	241.52	2.42
2	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-03	2	276.82	2.77
3	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-04	1	267.79	2.68
4	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	2	403.35	3.00
5	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-16	2	282.38	2.82
			योग	**13.69**

सूरतगढ़ खण्ड

1	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-03	4	272.01	2.72
2	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-05	4	477.76	3.00
3	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-06	3	677.24	3.00
4	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	4	530.66	3.00
5	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	338.24	3.00
6	आरजे-30-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	4	484.26	3.00
			योग	**17.72**
	कुल योग	**221 सड़कें**		**201.87**

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.2; पृष्ठ 104)

संशोधित कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करने से संवेदक को अनुचित लाभ देना

क्र.सं.	खण्ड का नाम	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	रोकने योग्य राशि (₹ लाख में)
1	आबू रोड़	01	01	05.00
2	अलवर- II	04	10	20.00
3	ब्यावर	01	08	05.00
4	भीलवाड़ा	09	39	45.00
5	बूंदी-डब्लूबी	07	18	35.00
6	चौमहला	02	03	10.00
7	छबड़ा	19	47	95.00
8	चित्तोड़गढ़-डब्लूबी	18	60	90.00
9	दौसा	10	35	50.00
10	मालपुरा	10	39	50.00
11	निम्बाहेड़ा	18	49	90.00
12	राजसमंद-डब्लूबी	11	33	55.00
13	सवाईमाधोपुर-डब्लूबी	13	34	65.00
14	श्रीगंगानगर	05	11	25.00
15	सिकन्दरा	02	06	10.00
16	सूरतगढ़	06	23	30.00
योग		**136**	**416**	**680**

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.14

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.2; पृष्ठ 105)

सड़कों का बीमा कवर उपलब्ध नहीं करने का विवरण

ब्यावर खण्ड

क्र. सं.	पैकेज संख्या	सड़कों की संख्या	बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की गई		निर्माण अवधि के लिए प्रस्तुत की गई बीमा पॉलिसी	
			कार्यादेश राशि	प्रिमीयम राशि कार्यादेश राशि का @ 1.20 प्रतिशत	कार्यादेश राशि	प्रिमीयम राशि कार्यादेश राशि का @ 0.40 प्रतिशत
1	आरजे-01-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	8	36824907	441899	–	–

भीलवाड़ा खण्ड

1	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	5	–	–	32294621	129178
2	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	5	43844846	526138	–	–
3	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-18	4	43274135	519290	–	–
4	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	4	36060576	432727	–	–
5	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-20	4	35885686	430628	–	–
6	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-21	4	37417044	449004	–	–
7	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-22	3	–	–	42698605	170794
8	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-23	5	–	–	43376011	173504
9	आरजे-07-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-24	5	–	–	43094024	172377

चौमहला खण्ड

1	आरजे-19-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	1	35012774	420153	–	–
2	आरजे-19-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	2	–	–	21907012	87628

चित्तौड़गढ़ (डब्लूबी) खण्ड

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	27287734	327453	–	–
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	27317321	327808	–	–
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-25	2	–	–	42559213	170237
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-32	2	–	–	13968104	55872

छबड़ा खण्ड

1	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	5	–	–	66790417	267162
2	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-03	3	47498952	569987	–	–
3	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	2	27197780	326373	–	–
4	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	2	19434385	233213	–	–
5	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	2	–	–	33099181	132397
6	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	2	–	–	21099909	84400
7	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-14	3	–	–	28819657	115279
8	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-16	2	–	–	28701574	114806
9	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-17	2	–	–	23519441	94078
10	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	2	–	–	20474947	81900
11	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-20	1	–	–	20891292	83565
12	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-21	2	–	–	23395133	93581
13	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-22	3	–	–	15519352	62077

दौसा खण्ड

1	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	2	–	–	10605661	42423
2	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-04	3	18921953	227063	–	–
3	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-06	2	–	–	15856953	63428
4	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-07	5	45012304	540148	–	–
5	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	–	–	33928273	135713
6	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	35349910	424199	–	–
7	आरजे-12-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	4	–	–	48527373	194109
8	आरजे-04-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	5	49385565	592627	–	–

निम्बाहेड़ा खण्ड

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-21	2	14113224	169359	–	–
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-33	3	24278792	291345	–	–
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-34	3	27407033	328884	–	–
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-35	3	24637607	295651	–	–
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-37	3	30977570	371731	–	–
6	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-39	3	24566819	294802	–	–
7	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-40	3	–	–	30508065	122032

8	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-41	3	–	–	32079902	128320
9	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-42	2	28001484	336018	–	–
10	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-44	3	–	–	24421078	97684
11	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-46	2	20896555	250759	–	–
12	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-48	2	12848407	154181	–	–
13	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-49	3	–	–	26956551	107826
14	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-51	2	–	–	33171166	132685
15	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-52	4	27251866	327022	–	–

सवाईमाधोपुर-डब्लूबी खण्ड

1	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	2	20913746	250965	–	–
2	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-02	3	24151992	289824	–	–
3	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-11	4	24742912	296915	–	–
4	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	2	–	–	40335060	161340
5	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-13	2	20706291	248475	–	–
6	आरजे-27-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-16	2	28237655	338852	–	–
कुल	**58 पैकेज**	**176**		**1,10,33,493**		**32,74,395**
			31 पैकेज और 100 सड़क		**27 पैकेज और 76 सड़कें**	
			1,10,33,493+32,74,395=1,43,07,888			

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.15

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.5.2; पृष्ठ 105)

निष्पादन सुरक्षा प्रदान किए जाने के अभाव में संवेदक के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का अभाव

ब्यावर खण्ड

क्र.सं.	पैकेज संख्या	निष्पादन प्रतिभूति की वैद्यता अवधि तक (खण्ड 35.1 के अनुसार)	निष्पादन प्रतिभूति की वैद्यता अवधि तक
1	आरजे-01-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-01	31.08.2020	26.06.2019

चित्तौड़गढ़ (डब्लूबी) खण्ड

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	25.07.2019	01.07.2017
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	19.07.2019	01.07.2017
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-29	30.11.2019	22.12.2015
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-30	30.11.2019	22.12.2015
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-31	30.11.2019	27.12.2018

मालपुरा खण्ड

1	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-05	31.08.2019	उपलब्ध नहीं
2	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-12	31.08.2020	उपलब्ध नहीं
3	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-18	31.12.2019	उपलब्ध नहीं
4	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	31.03.2020	उपलब्ध नहीं
5	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-23	31.03.2020	उपलब्ध नहीं
6	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-24	31.03.2020	उपलब्ध नहीं
7	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-26	14.12.2020	उपलब्ध नहीं
8	आरजे-31-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-27	31.12.2019	उपलब्ध नहीं

निम्बाहेड़ा खण्ड

1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-33	12.11.2019	19.01.2015
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-35	30.11.2019	22.10.2018
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-37	30.11.2019	19.01.2015
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-39	12.11.2019	26.09.2016
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-44	12.11.2019	27.02.2015
6	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-46	22.11.2019	02.01.2018
7	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-48	12.11.2019	26.09.2016

8	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-49	30.11.2019	19.01.2015
9	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-51	16.12.2019	19.01.2015
10	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-52	30.11.2019	21.11.2016

राजसमंद (डब्लूबी) खण्ड

1	आरजे-26-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	28.11.2019	23.09.2014
2	आरजे-26-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	28.11.2019	23.09.2014
3	आरजे-26-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-22	28.11.2019	23.09.2014
कुल पैकेज	**27**		

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.16

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.6; पृष्ठ 106)

जांच प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने वाले कार्यों का विवरण

क्र. सं.	पैकेज संख्या	सड़कों की संख्या	कार्यादेश राशि	कार्य की अवधि
1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	4	27287737	13.07.2013 से 12.07.2014
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	3	27317321	13.07.2013 से 12.07.2014
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	3	40135436	24.12.2013 से 23.12.2014
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-18	5	42906660	01.07.2013 से 30.06.2014
5	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-19	2	31296570	04.07.2013 से 03.07.2014
6	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-24	2	35107274	19.07.2013 से 18.07.2014
7	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-28	3	26719035	10.01.2014 से 09.01.2015
योग		**22**		

कार्यादेश से पूर्व जारी परेषिति रसीद प्रमाणपत्र के कार्यो का विवरण

क्र. सं.	पैकेज संख्या	कार्यादेश संख्या एवं दिनांक	सड़कों की संख्या	कार्यादेश राशि	कार्य की अवधि	सामग्री का नाम	सीआरसी संख्या एवं दिनांक	सामग्री की मात्रा
1	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-08	1293/04.07.2013	4	27287737	13.07.13 से 12.07.14	ईमल्सन बिटुमिन-आर एस-1	140/15.09.2010	14.240
2	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-09	1294/04.07.2013	3	27317321	13.07.13 से 12.07.14	ईमल्सन बिटुमिन-आर एस-1	94/08.06.2012	6.790
							241/02.12.2012	6.520
						बिटुमिन वीजी-10	655029564/12.06.2012	20.050
3	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-10	3181/27.12.2013	3	40135436	24.12.13 से 23.12.14	ईमल्सन बिटुमिन-आर एस-1	2102012178/10.04.2013	15.00
							17035/15.07.2013	24.910
4	आरजे-10-डब्लूबी-आरआरएसएमपी-27	3774/03.03.2014	2	31705122	14.03.14 से 13.03.15	ईमल्सन बिटुमिन-आर एस-1	42527/05.06.2013	24.244
							42644/07.06.2013	24.310
						बिटुमिन वीजी-10	661129241/15.03.2013	10.64
							663105479/11.06.2013	14.586
							663213980/15.06.2013	14.494
कुल सड़कें			**12**					

स्रोत: नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट 3.17

(संदर्भ अनुच्छेद 3.7; पृष्ठ 115)

संवेदकों को मूल्य वृद्धि के अधिक भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	मुल्य विचलन		अपरिहार्य/ अधिक भुगतान	अधिक भुगतान का कारण
				भुगतान किया गया	भुगतान किया जाना था		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	अधिशाषी अभियन्ता सानिवि, रारा खण्ड़, बाडमेर	पक्के ढ़लान के साथ सड़क उन्नयन (किमी 259/000 से 286/600 किमी 290/600 से 297/100 के मध्य किमी 34.100) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (जैसलमेर-बाडमेर-सांचोर सड़क से चार लेन तक चौडाईकरण (किमी 286/600 से 290/600 के मध्य 4.00 किमी)	मै. भीमजी वेलजी सारेतिया, उदयपुर, गुजरात	3.85	3.24	0.61	मूल्य वृद्धि के भुगतान की गणना हेतु वित्तीय बोली खुलने की दिनांक के स्थान पर तकनीकी बोली खुलने की दिनांक को माना गया।
2	अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि, रारा, खण्ड, बाड़मेर	पुराने राज्य राजमार्ग 28'ब' के पचपदरा-बंगुडी अनुभाग के पुनः संरेखित भाग में भौगोलिक सुधार के साथ दो लेन की सड़क का चौडाईकरण (किमी 229/500 से 254/800) जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-112 (बर-बिलाड़ा-जोधपुर-बाड़मेर) पर छोटे पुल का निर्माण भी शामिल	मै. तन सिंह चौहान, बाड़मेर	2.28	1.87	0.41	-वही-
					कुल	**1.02**	

परिशिष्ट 3.18

(संदर्भ अनुच्छेद 3.8; पृष्ठ 117)

मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस का निर्माण, डब्लू बी एम एवं डब्लू एम एम पर किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	मृदा खुदाई	जी एस बी	डब्लू बी एम ग्रेड-2	डब्लू बी एम ग्रेड-3	डब्लू एम एम	योग
1	अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड, बालोतरा	184508.24	2519109.65	306504.95	2478226.28	0.00	5488349.12
2	अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड, चित्तौडगढ़	0.00	2842198.72	0.00	0.00	13296505.17	16138703.89
3	अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड-प्रथम, बाडमेर	521822.65	3297235.43	0.00	3691448.83	0.00	7510806.91
4	अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड, शाहपुरा (जयपुर)	0.00	2891013.25	0.00	3607595.84	0.00	6498609.09
5	अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड, नवलगढ़	24091.64	3327802.72	2946645.66	0.00	0.00	6298540.02
योग							**41935009.03**